उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश के जिला न्यायालयों में शीघ्रलेखक वर्ग–2 एवं शीघ्रलेखक वर्ग–3 के नियमित रिक्त पद एवं कोर्ट मैनेजर के स्टॉफ हेतु शीघ्रलेखक वर्ग–3 के संविदा आधारित (Contract Basis), पदों पर नियुक्ति हेतु केवल अनुसूचित जनजाति के इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन पत्र सीधे आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन करने की अंतिम तिथि : 19/02/2013

मुख्य परीक्षा दिनांक : 24/04/2013

खण्ड "अ"

आवेदन भरने के निर्देश और विधि –

(1) प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु आवेदन दस्तावेजों व दो फोटोग्राफ की स्वप्रमाणित प्रतियों तथा 5 रूपये की टिकिट लगा स्वयं का पता लिखा लिफाफा के साथ अंतिम दिनांक 19.02.2013 तक **स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (म0प्र0) पिन कोड–482001** को पहुँचाना आवश्यक हैं । **आवेदन का प्रारूप इसी विज्ञापन के साथ अंत में वेबसाईट पर दिया गया है ।**

(2) अंतिम दिनांक तक आवेदन व दस्तावेज प्राप्त न होने पर अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र जारी नहीं किया जावेगा । विज्ञापन के पूर्व प्राप्त होने वाले आवेदनों पर भी विचार नहीं किया जायेगा ।

खण्ड "ब"

विज्ञापित पदों का विवरण

(I) पदनाम, वेतनमान तथा अर्हतायें :–

पदनाम एंव वेतनमान	रिक्त पद	न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता
(1) शीघ्रलेखक ग्रेड–2 5200–20200 + ग्रेड पे 2800 (जिला न्यायालय)	32	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण। 4. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण। 5. अंग्रेजी टायपिंग का ज्ञान ।
(2) शीघ्रलेखक ग्रेड–3 5200–20200 + ग्रेड पे 2400 (जिला न्यायालय)	36	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी टायपिंग एवं हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण। 4. अंग्रेजी टायपिंग का ज्ञान ।
(3) शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (अंग्रेजी अथवा हिन्दी) निश्चित रूपये 11000/–	02	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण।

11.01.13

मासिक (कान्ट्रेक्ट बेसिस)		2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी अथवा अंग्रेजी टायपिंग एवं हिन्दी अथवा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।
कुल पद	**70**	

(1) उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हतायें (कम्प्यूटर अर्हता सहित) दिनांक 19.02.2013 तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(2) अतिरिक्त योग्यता हेतु संबंधित विषय/ज्ञान की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है।

(3) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. सी–3–11/08/3/एक दिनांक 12.06.2009 के प्रकाश में केवल निम्नलिखित संस्थाओं से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मान्य किये जायेगें :–

1. Diploma from all Universities recognized by UGC.
2. Diploma from all Open Universities recognized by UGC.
3. Diploma level examination from DOEACC.
4. Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College.

विश्वविद्यालय/डोएक से परीक्षा उत्तीर्ण होना तभी माना जावेगा जबकि संबंधित विश्वविद्यालय/डोएक से प्रमाण पत्र/अंकसूची जारी की गई हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो केवल बी0ए0, बी0कॉम0 या बी0एस0सी0 में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस लेकर उत्तीर्ण हुऐ हैं उन्हें कम्प्यूटर योग्यता हेतु अर्हताकारी नहीं माना जायेगा । (जैसा कि माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नं0 1925/2010, आई0एल0आर0 (2011) म0प्र0 1847 (डी0बी0) में अभिनिर्धारित किया गया हैं)

शीघ्रलेखक ग्रेड–2 एवं 3 के नियमित एवं संविदा आधारित पदों (बैकलॉग) की कुल रिक्तियाँ जिलेवार निम्नानुसार हैं ।

Sr. No.	Name of District	Stenographer-2		Stenographer-3		Total
		Gen.	Female	Gen.	Female	
1.	Alirajpur	5	2	2	-	09
2.	Anuppur	-	-	2	1	03
3.	Balaghat	-	-	1	-	01
4.	Betul	3	1	2	-	06
5.	Burhanpur	1	-	-	-	01
6.	Chhindwara	1	1			02
7.	Dewas	1	-	1	-	02
8.	Dhar	4	2			06
9.	Dindori	-	-	2	-	02
10	Guna	-	-	1(PH)	-	01
11.	Hoshangabad	1	-	1		02
12.	Jabalpur	-	-	2	-	02

11.11.13

13.	Jhabua	3	1	4	1	09
14.	Katni	-	-	1	-	01
15.	Mandleshwar	-	-	1	-	01
16.	Mandla	-	-	2+1(PH)	1	04
17.	Panna	1	-	-	-	01
18.	Raisen	1	-	1		02
19.	Ratlam	-	-	2	1	03
20.	Sehore	1	-	-	-	01
21.	Shahdol	2	-	2	-	04
22.	Sheopur	-	-	1	-	01
23.	Singrouli	1	-	1	-	02
24.	Umariya	-	-	2	-	02
On Contract Basis		-	-	2	-	02
Total		**25**	**07**	**34**	**04**	**70**

नोट :–

(1) मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों हेतु 10 प्रतिशत पद समस्तरीय एवं प्रभागवार (होरीजोन्टल एण्ड कम्पार्टमेन्टवाईज) आरक्षित है।

(2) शीघ्रलेखक वर्ग–2 एवं वर्ग–3 के नियमित एवं संविदा आधारित पदों के लिये एक ही आवेदन पत्र के द्वारा अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है अन्य पदो के अभ्यर्थी केवल एक पद के लिए ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे । नियमित पदों की पूर्ति होने पर संविदा आधारित पदों पर अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा ।

(3) नियुक्ति हेतु, अपनी पसंद के अनुसार दो जिलों को आवेदन में दर्शित कर सकते हैं। पसंद के जिले में पद भर जाने पर उच्च न्यायालय को उस अभ्यर्थी को अन्य किसी भी जिले में चयनित एवं नियुक्त किये जाने का अधिकार होगा । संविदा आधारित पदों से संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/स्थान का पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालय को होगा ।

(4) जिला न्यायालयों के पदों से संबंधित अभ्यर्थी, की नियुक्ति होने पर तीन वर्ष तक स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

खण्ड "स"

(1) आयु की गणना :–

दिनांक 01.01.2013 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो । उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी :–

1. पुरूष आवेदक (अनु0जनजाति) = 40 वर्ष
2. महिला आवेदक (अनु0जनजाति) = 35 + 5 + 10 = 50 वर्ष
3. विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा महिला आवेदक (अनु0जनजाति) = 35 + 5 + 10+ 5 = 55 वर्ष

नोट:–विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शासकीय सेवकों को भी मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार आयु–सीमा में छूट दी जायेगी ।

(2) परीक्षा शुल्क : – कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा ।

(3) परीक्षा की योजना :–

11.01.13

(अ) **प्रारंभिक परीक्षा** – कोई प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी ।

4. **यात्रा व्यय का भुगतान** :– अभ्यर्थियों को परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिये कोई यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

(ब) मुख्य परीक्षा –

S.No	Post	Subject	Marks	Time
1.	**शीघ्रलेखक ग्रेड–2 एवं शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (जिला न्यायालय) एवं (संविदा आधारित)** Stenographer Grade-2 & Grade-3 (District Court) & (Contract Basis)	हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन + टाईपिंग (कम्प्यूटर पर) + कम्प्यूटर एप्लीकेशन Hindi /English Shorthand + Typing (on Computer) + Computer Application	75+ 13= 88	1.00 Hrs.

नोट :–

(1) मुख्य परीक्षा की संभावित दिनाँक 24/04/2013 एवं मुख्य परीक्षा के केन्द्र 03–04 जिले के मुख्यालय होंगे । सभी पदों के संबंध में मुख्य परीक्षा केन्द्र के निर्धारण का अधिकार प्रिंसीपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) को होगा एवं केन्द्र चयन के संबंध में अभ्यर्थी का कोई अधिकार नहीं माना जावेगा । मुख्य परीक्षा की दिनांक एवं परीक्षा केन्द्र का नाम म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 08.04.2013 तक प्रकाशित कर दिया जावेगा।

(2) **प्रवेश पत्र** – पात्र अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पृथक से वेबसाइट के माध्यम से जारी किये जावेंगे जिसे वे म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphighcourt.nic.in अथवा www.mphc.in से अपनी जन्मतिथि डालकर डाउनलोड कर सकेंगे एवं इसका उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

(3) शीघ्रलेखक के सभी पद प्रवर्ग हेतु एक ही मुख्य परीक्षा होगी । मुख्य परीक्षा में इस पद हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों को 5 मिनिट में लगभग 400 शब्दों का डिक्टेशन हिन्दी अथवा अंग्रेजी, जिसमें कि अभ्यर्थी अर्हता प्राप्त हैं, में दिया जायेगा जिसके टायपिंग हेतु 30 मिनिट का समय पृथक से दिया जायेगा । डिक्टेशन के पूरे भाग को कम्प्यूटर पर टाईप कराया जावेगा।

(4) मुख्य परीक्षा में शीघ्रलेखक ग्रेड–2 एवं शीघ्रलेखक ग्रेड–3 पद हेतु अभ्यर्थियों का शीघ्रलेखन एवं टाईपिंग परीक्षण 75 अंक का होगा एवं शीघ्रलेखक ग्रेड–2 के पद पर चयन हेतु इस परीक्षण में 30 अंक (पूर्णांक 75 में से) प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(5) मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम् 30 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त करना आवश्यक हैं। विकलाँग अभ्यर्थी को 10 प्रतिशत अधिभार दिया जावेगा । वांछित अभ्यर्थियों के नहीं मिलने पर उक्त न्यूनतम् अर्हकारी अंको की शर्त को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा शिथिल किया जा सकेगा अथवा योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर पदों को रिक्त रखा जाकर पुनः विज्ञापित किया जावेगा।

11.01.13

(6) परीक्षा समाप्ति के 6 माह पश्चात्, जो अभ्यर्थी परीक्षा में सफल नहीं हुए है से संबंधित सभी सामग्री (आवेदन, उत्तर पुस्तिकाऐं आदि) नष्ट कर दी जायेगी ।

(स) **साक्षात्कार:–(12 अंक)।**

(1) साक्षात्कार मुख्य परीक्षा दिनांक को ही मुख्य परीक्षा के उपरांत लिया जावेगा।

(2) साक्षात्कार के समय चयन समिति के समक्ष समस्त अर्हकारी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(3) चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी :–

(1) जिला न्यायालयों के पदों हेतु सभी अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं।

(2) वही अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र होगें जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 द्वारा निर्धारित समस्त मापदण्डों की पूर्ति करते हों एवं नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये अपात्र न हो।

(3) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को मुख्य परीक्षा दिनांक तक नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं ।

(4) परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्राविधिक है । अभ्यर्थी को सभी परीक्षाओं में फोटो परिचय–पत्र भी लाना आवश्यक है । अंतिम शैक्षणिक संस्था प्रमुख द्वारा जारी फोटो परिचय–पत्र भी मान्य किया जा सकेगा ।

(5) हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग की योग्यता का परीक्षण कम्प्यूटर पर ही किया जावेगा। अभ्यर्थी अपनी सुविधा हेतु यू0एस0बी0 की–बोर्ड (कॉर्ड एवं एक्स्टेंशन सहित) ला सकता हैं ।

(6) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को है।

(7) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(8) पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(9) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हों तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें ।

(10) चयनित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश में कार्यरत् किसी भी न्यायालय में एवं किसी भी स्थान पर पदस्थ किया जा सकेगा।

11.01.13

(सुभाष काकड़े)
रजिस्ट्रार जनरल